



कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक- 323 /12-1

देहरादून:दिनांक: 16 अगस्त, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:-जनपद-रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत चोपड़ा उड़ामाण्डा (पी0एम0जी0एस0वाई0) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड़) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/155241/2022)

सन्दर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/56/2023/एफ.सी./1015 दिनांक 04.12.2024।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 107/12-1 दिनांक 10.07.2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, जो निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र. सं०	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रतिपूरक वनीकरण	
क	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 2.043 है0 अवनत वन भूमि में क्षेत्रवासी कक्ष संख्या-5 के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर 500 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने के तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 107/12-1 दिनांक 10.07.2025 द्वारा अवगत कराया गया है प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 2.043 है0 अवनत वन भूमि में क्षेत्रस्वामी-कक्ष संख्या-5 के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर 500 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 8,85,500.00 (आठ लाख पिच्चासी हजार, पांच सौ मात्र) वन विभाग के पक्ष (कैम्पा कोष) में जमा की गई है, (संलग्नक-1) तथा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
ख	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, और डब्ल्यू, एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस संबन्ध में भारत के मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत	उक्त के क्रम में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि

	वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	प्रकरण में प्रभावित वृक्षों के छपान हेतु प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के पत्रांक 2894/12-1(2) दिनांक 05.03.2025 के द्वारा छपान आदेश निर्गत किया गया। (संलग्नक-3 के अनुसार)
6	राज्य वन विभाग रैखिक (लीनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किये गये है। (संलग्नक-6)
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा होने वाली धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा की गई है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
9	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 01.04.2025 को ई-पोर्टल पर अपलोड की गई है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथासंशोधित 2023 के तहत प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 323 /FP/UK/ROAD/155241/2022 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, (रुद्रप्रयाग)।

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 107 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, जुलाई 10, 2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय-

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत चोपड़ा उड़ामाण्डा (पी0एम0जी0एस0वाई0) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड़) होते हुये बैंजी काण्डई (अनु0बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/155241/2022

सन्दर्भ-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/56/2023/एफ.सी./ दिनांक 04.12.2024.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 3966/12-1(2) दिनांक 03.06.2025 से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार स्तर से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 319/16सी दिनांक 04.02.2025 से प्रभागीय कार्यालय रुद्रप्रयाग को प्रेषित की गई है, जो निम्नवत है-

क्र.सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
(क)	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।	
1	प्रतिपूरक वनीकरण	
क	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 2.0430 है0 अवनत वन भूमि में क्षेत्रस्वामी कक्ष संख्या-5 के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर 500 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 2.0430 है0 अवनत वन भूमि में क्षेत्रस्वामी-1 कक्ष संख्या-5 के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर 500 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रुपये 8,85,500.00 (आठ लाख, पिच्चासी हजार, पांच सौ) मात्र वन विभाग के पक्ष (कैम्पा कोष) में जमा की गई है, (संलग्नक-1) तथा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
(ख)	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC (C) संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998- एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.350 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत 0.350 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य रुपये 4,52,498.00 (चार लाख, बावन हजार, चार सौ अट्ठानब्बे) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष (कैम्पा कोष) में जमा कर दी गई है। (संलग्नक-1 के अनुसार)

IAIDFP

क्रमशः पेज 02 पर

प्रभारी रुद्रप्रयाग
आ.का.के.र.
04शुद्ध वर्तमान मूल्य
22-7-25रुद्रप्रयाग वन विभाग
उत्तराखण्ड
दिनांक 10/7/25
पत्रावली 151
गं. 105-25

7	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं। (संलग्नक-6)
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा होने वाली धनराशि ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा की गई है। संलग्नक-1 के अनुसार
9	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 01.04.2025 को ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की गई है।

संलग्न:- यथोपरि

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी।


पत्रांक 107/12-1 दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी।



कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 3966 /12-1(2)

दिनांक 03/06 /2025::

सेवा में

✓ वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- जनपद-रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत चोपड़ा उड़ामाण्डा (पी0एम0जी0एस0वाई0) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड़) होते हुये बैजी काण्डई (अनु0बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **ONLINE PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/155241/2022**

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी./यू.सी.पी./06/56/2023/एफ.सी./1015 दिनांक 04.12.2024, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-259/X-3-25/1(47)/2023 ई0 पत्रावली संख्या-54054 दिनांक 05.03.2025 एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या-2408/12-1 दिनांक 29.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक-319/16सी दिनांक 04.02.2025 के द्वारा हार्ड प्रति में तथा दिनांक 01.04.2025 को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुये इस कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) निम्न प्रकार प्रेषित है-

बि.सं.	शर्त का विवरण	आख्या
(क)	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।	
1	प्रतिपूरक वनीकरण :	
(क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के हेतु 2.0430 है0 अवनत वन भूमि में क्षेत्रस्वामी कक्ष संख्या-5 के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर 500 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 2.0430 है0 अवनत वन भूमि में क्षेत्रस्वामी-1 कक्ष संख्या-5 के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर 500 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रुपये 8,85,500.00 (आठ लाख, पिच्चासी हजार, पांच सौ) मात्र वन विभाग के पक्ष (कैम्पा कोष) में जमा की गई है, (संलग्नक-1) तथा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
(ख)	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

पत्र संख्या 319 /16 सी-
सेवामें,

दिनांक 05/02/2025

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय- वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/155241/2022 जनपद रुद्रप्रयाग में चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ- भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/56/2023/एफसी ई-पत्रावली संख्या 1/89393/2024 दिनांक 04.12.2024 एवं पत्र संख्या 1743/12-1(2) दिनांक 13.12.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों द्वारा उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है-

क्र0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
(क.)	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंन्सी को वनभूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।	
1	प्रतिपूरक वनीकरण:-	
(क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 2.043 हे0 अवनत वनभूमि में क्षेत्रस्वामी कक्ष संख्या-5 के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर 500 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासांशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 2.043 हे0 (वास्तविक 0.35 हे0) अवनत वनभूमि में क्षेत्रस्वामी कक्ष संख्या-5 के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर 500 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा (संलग्नक-1) प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षित हेतु वांछित धनराशि रू0 8,85,500.00 मात्र ऑन लाइन द्वारा जमा की जा चुकी है (संलग्नक-2)।
(ख)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने हेतु सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	वन विभाग से सम्बन्धित है।
2	शुद्ध वर्तमान मूल्य:-	₹121
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफसी (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3 /2007 एफसी दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 0.35 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध मूल्य वसूली करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग) शुद्ध वर्तमान मूल्य 0.35 हे0 एनपीवी की देय धनराशि रू0 4,52,498.00 मात्र ऑन लाइन जमा की जा चुकी है (संलग्नक-2 के अनुसार)।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद	एनपीवी की धनराशि में यदि कोई वृद्धि होती है तो प्रस्तावक विभाग जमा करने हेतु सहमत है (संलग्नक-3)।

	देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्त अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 03 वृक्षों एवं 47 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
4	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलवा निस्तारित नहीं किया जाएगा, इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण बचन पत्र प्रदान करेगी।	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलवा नहीं निस्तारित किया जायेगा (संलग्नक-4)।
5	गाईड लाईन्स में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य आरम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कटाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
6	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-।। का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	अनुपालन किया जायेगा।
7	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न-5)
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	उक्त धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में ही जमा की गयी है (संलग्नक-2 के अनुसार)
9	अनुपालन आख्या E-Portal (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन आख्या E-Portal (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(इं० इन्द्रजीत बोस)
अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि-

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

वन विभाग
इं० अ० का० को०,
रुद्रप्रयाग

(इं० इन्द्रजीत बोस)
अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



247 (210)

Date: 30/01/25
 Project ID: M19000422706241001

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र
 वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -1

VR no 210 Dt 30/01/25
 (देखें अध्याय भांड, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

अनुदान का नाम
 प्रकल्प का नाम
 प्रकल्प की शुरुआत का तिथि
 प्रकल्प का उद्देश्य
 प्रकल्प की शुरुआत का तिथि
 प्रकल्प का नाम
 अनुदान संख्या : (022) लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या
 स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

रुद्रप्रयाग : 1 0 3
 9 0 0 0
 0 0 1 2 4 9
 0
 मतदेय : 5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 5 4
 अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्ल्यू डी रुद्रप्रयाग : 4 2 2 7

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण	
मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054) सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04) जिला तथा अन्य सड़के
तृतीय शीर्षक -	(337) सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03) राज्य सेक्टर
चौथे शीर्षक -	(04) एन0पी0वी0 का भुगतान / भूमि अधिग्रहण
वाउचर दिनांक	

अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्ल्यू डी रुद्रप्रयाग
 14- सोर्स कोड : 15- सेक्टर कोड : 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)
 Project : PR9000422706241001 वर्ष 2024-25 एन0पी0वी0, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं प्रतिकर मद
 Contract :

बजट की वर्तमान स्थिति			
मानक मद का नाम व कोड	आवृत्त कुल बजट	इस विल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
4-भूमि क्रय	17384605	7121702	10262903

भुगतान का विवरण	
मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	13,37,998
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	13,37,998

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	13,37,998

Sl. No.	व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि रू०	अभ्युक्ति
1	BANWALDHAR /30-JAN-2025/Mr Uttaranchal Campa Banwaldhar		
6-	सकल धनराशि अग्रिम समायोजन के बाद	13,37,998	
7-	सम्पूर्ण कटौतियां	13,37,998	
9	शुद्ध देय धनराशि 66-77	-	
		13,37,998	

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर (केवल काउन्टरसाइन्ड कटीजैसी के प्रकरण में ही लागू होगा) (पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)
 कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु भुगतान हेतु पारित किया जाता है।
 प्रमाणित
 कक्षाधिकारी
 13,37,998 (Rupees Thirteen Lacs Thirty Seven Thousand Nine Hundred Ninety Eight Only)


Sl. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	DP9000422701251287 Mr Uttaranchal Campa Banwaldhar	Saving	UBIN0996335	1508961155241609	1337998	0	0	1337998
					1337998	0	0	1337998

प्रमाणित
 कक्षाधिकारी
 13,37,998

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी०

एन०पी०वी० की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

~~सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग~~



ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन / फैक्स नं० :- 01364 - 233505::

पता :- माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक- 2894/12-1(2)

दिनांक 05/03 / 2025

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी,
अगस्त्यमुनि रेंज।


विषय :- जनपद-रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत चोपड़ा उड़ामाण्डा (पी0एम0जी0एस0वाई0) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड़) होते हुये बैजी काण्डई (अनु0बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु चयनित संरेखण पर प्रभावित वृक्षों के छपान के संबंध में। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/155241/2022**

स्मार/-

उपरोक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी./यू.सी.पी./06/56/2023/एफ.सी. दिनांक 04.12.2024 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न सूची के अनुसार मोटर मार्ग के चयनित संरेखण में विभिन्न प्रजाति व व्यासवर्ग के (वन पंचायत भूमि-50 तथा नाप भूमि-41) कुल 91 वृक्षों का छपान कर छपान सूची यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें। ध्यान रहे कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में उल्लिखित वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्षों का छपान अवैध माना जायेगा। जिसके लिये सम्बन्धित छपान अधिकारी जिम्मेदार होंगे।


संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


(कल्याणी)

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या- 2894 / दिनांकित।

प्रतिलिपि - उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त क्षेत्र से सम्बन्धित अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण में प्रभावित वृक्षों के छपान कार्य हेतु वन विभाग के स्टाफ के साथ छपान कार्य में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।



(कल्याणी)

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या- 2894 / दिनांकित।

प्रतिलिपि - अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग को उनके पत्रांक-560/16सी0 दिनांक 28.02.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप अधीनस्थ स्टाफ को उक्त मोटर मार्ग के संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों के छपान कार्य में भाग लेने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कराना है कि-प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार स्तर से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग स्तर से परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किये जाने के पश्चात् ही प्रकरण में प्रभावित वृक्षों का पातन किया जाना संभव होगा।

o/c


(कल्याणी)

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

कार्यालय वन क्षेत्र अधिकारी अगस्त्यमुनि राजि अगस्त्यमुनि

4

पत्रांक 1072/12-1

दिनांक 08/05/2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

द्वारा— उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग उप वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

विषय — जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत चोपड़ा-उडामाण्डा (पी0एम0जी0एस0वाई0) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड़) होते हुए बेंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु चयनित संरक्षण पर प्रभावित वृक्षों के छपान के सम्बन्ध में।

PROPOSAL NO – FP/UK/ROAD/155241/2022

सन्दर्भ — आपकी पत्र संख्या 2894/12-1(2) दिनांक 05-03-2025।

महोदया,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि राजि क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत चोपड़ा-उडामाण्डा (पी0एम0जी0एस0वाई0) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड़) होते हुए बेंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित संरक्षण पर प्रभावित होने वाले विभिन्न प्रजाति के 91 वृक्षों के छपान के सम्बन्ध में श्री जयवीर लाल वन दरोगा घिमतोली अनुभाग द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त वृक्षों के छपान हेतु श्री अनिरुद्ध रावत कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग, श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी वन उपज रक्षक वन विकास निगम एवं कुमारी कल्पना वन आरक्षी घिमतोली बीट के साथ मौके पर उपस्थित हुए, स्थलीय निरीक्षण के दौरान देखा गया कि प्रस्तावक विभाग (लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग) द्वारा जे0सी0बी0 से अनैतिक रूप से विभिन्न प्रजाति के 91 वृक्षों को खुर्द-बुर्द कर मोटर मार्ग निर्माण में जमींदोज किया गया है, जिस कारण प्रकाष्ठ की उपयोगिता नहीं रह गयी है तथा प्रकाष्ठ उपयोग में लाये जाने योग्य नहीं है। उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग के नाम एच-2 संख्या 10/2024-25 जारी किया गया, तदोपरान्त सम्बन्धितों से जुर्म से सम्बन्धित धनराशि 121948.00 (एक लाख इक्कीस हजार नौ सौ अड़तालीस) रु0 अर्थदण्ड वसूली गयी।

उक्त अर्थदण्ड से सम्बन्धित धनराशि को चालान संख्या 04060325E0061866 दिनांक 29 मार्च 2025 के माध्यम से राजकीय कोष में जमा किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना अनुभाग अधिकारी की आख्या सहित महोदया की सेवा में प्रेषित।

संलग्न— उपरोक्तानुसार (01 संख्या)।

जो-1441
20-13/05/25
अज्ञात
उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

कै. अ. अ. अ.

प्र. व. अ. अ.
13/05/25

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि राजि अगस्त्यमुनि

वन क्षेत्र में मलवा निस्तारण न किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी०

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण वन क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।

उक्त मलवे के निस्तारण हेतु निर्धारित स्थान पर डम्पिंग जोन बनाये जायेंगे।


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिसारी अभियन्ता
अधिसारी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्बाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :-

तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग


अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्बाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.35 हे0 सिविल वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.35 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~जसवाड~~ द्वारा दिनांक 20.11.21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ~~जसवाड~~ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र 0/जसवाड
ग्राम सचिवागस्त्यमुनि
जनपद-रुद्रप्रयाग



नोट :-यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :-

तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग


अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.35 हे0 सिविल वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.35 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बैंजी काण्डई द्वारा दिनांक 18.7.21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बैंजी काण्डई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
बैंजी काण्डई
जिला रुद्रप्रयाग



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

"समझौता ज्ञापन"

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि जरम्बाड से बैंजी काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

तथा

के बीच

आज दिनांक 25-7-21 को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
2. यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके अतिरिक्त स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अविलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

नाम—	नाम भूमिधर	हस्ताक्षर
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ह० पटवारी / मोहर

25-07-2021

...

...

जिला- रुद्रप्रयाग

80

प्रति निष्पादित

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्बाड) होते हुए बैजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी०

दिनांक 18/7/02 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बैजी काण्डई

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	जगदीश शर्मा काण्डपाल	
2-	वीर वीर काण्डपाल	
3-	कमल कान्त "	
4-	झरूप "	
5-	निधर किशोर "	
6-	शार्ङ्ग काण्डपाल	
7-	वेद प्रकाश "	
8-	दीर्घायु प्रसाद	
9-	आधुयी	
10-	शामू प्रसाद	
11-	नवल	
12-	देव प्रसाद	
13-	विमल मिश्र	
14-	खानीता देवी	
15-	नमिता	
16-	शुनीता	
17-	चक्रमादेन लाल	
18-	प्रदीप काण्डपाल	
19-	दिवेंद्र काण्डपाल	
20-	दिवेंद्र लाल	
21-	चक्रमादेन	
22-	विजयलाल	

संलग्न है।

प्रति सत्यमेव जयते
रुद्रप्रयाग अभियन्ता
कामेश्वर लोनिवि
रुद्रप्रयाग

Heme
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र - A
पि० ख०-अगस्त्यमुनि
जनपद-रुद्रप्रयाग

76

विजय
Heme
18/7/02
ह०/
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्बाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- रुद्रप्रयाग जनपद रुद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रुद्रप्रयाग ।

उपखण्ड रुद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्बाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी० (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, ०.३५ हे० ~~विना~~ वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल ०.३५ हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 6/11/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती अर्पणा टोडियान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------|
| 1- श्रीमती अर्पणा टोडियान | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री सुरतज सिंह नेगी | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री सतीश पाल | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री सरतज सिंह नेगी | बी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्बाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी० परियोजना हेतु ०.३५ हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्बाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी० परियोजना के निर्माण हेतु ०.३५ हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग ।

Sampal

सरतज सिंह नेगी
क्षेत्र पंचायत बैंज काण्डई

कुलदीप सिंह

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
अगस्त्यमुनि

39 क्षेत्र पंचायत बिजराकोट
विकास खण्ड-अगस्त्यमुनि

सहायक अभियन्ता
प्रोजेक्टो लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

Dated-----16.06.2022

No-8

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.35 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Banwaldhar (Jarmwar) to Bainji Kandai Motor Road under District sector in District Rudraprayag** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Bainji Kandai village (s) in Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Mayur Dixit (I.A.S.)

(Full name and official seal of the District Collector)

सत्यमेव जयते
राज्यक अभियन्ता
मंडल लोकनिर्वाह
रुद्रप्रयाग

23.4

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Mayur Dixit, I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date 16/6/2022 at time 11 A.M. at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring 0.35 hect for the **Construction of Banwaldhar (Jarmwar) to Bainji Kandai Motor Road** under District sector in District Rudraprayag (2.05 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag

Dated: 16/6/2022


**Mayur Dixit (I.A.S.)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag**


**सहायक अभियन्ता
प्रोडिगो लोनिवि
रुद्रप्रयाग**